न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /विविध/2016 छतरपुर नि० 9023 - II 16

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि० द्वारा आज दि. 23.2.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-2-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती कुसुम राजे पत्नी स्व. बहादुर सिंह, निवासी– लखरावन, राजनगर, छतरपुर

..... आवेदिका

बनाम

सरदार सिंह पुत्र भुजबल सिंह, निवासी– लखरावन, राजनगर, छतरपुर आदि

..... अनावेदक

आवेदनपत्र वास्ते धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत

श्रीमान् जी,

विविध आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

कुंवरसिंह कुशवाह 23/2/16 (23.)

1. यह कि, पूर्व में निगरानी प्रकरण क्रमांक 2527/II/13 छतरपुर आदेश दि.11.03.15 समक्ष श्री मनोज गोयल जी द्वारा आदेश पारित कुसुम राजे बनाम सरदार सिंह में तहसील राजनगर छतरपुर के प्र.क्र. 06/अ–6/2011–12 आदेश दि. 10–06–13 (सरदार सिंह/कुसुम राजे) के खिलाफ बोर्ड में निगरानी पेश की जो बोर्ड के आदेश दिनांक 11–03–15 को निगरानी स्वीकार हुई, बोर्ड के आदेश में तहसील का आदेश दिनांक 10–06–2013 टाईप होना था जो भूलवश (टाईप त्रुटि) के कारण दिनांक 29–04–2013 टाईप हों गया जिसे सही करने की कृपा करें।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि आवेदनपत्र स्वीकार कर मूल निगरानी प्र.क्र. 2527/II/13 में पारित आदेश दि.11.03.15 में संशोधित कर गलत आदेश दिनांक 29–04–2013 की जगह सही आदेश दिनांक 10–06–2013 टाईप त्रुटि को सुधार करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक : 23/02/16

आवेदक

स्थान : ग्वालियर

(कुसुम राजे)

by- [signature]

क.अ.म

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9023–दो/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.16	आवेदक की ओर से कुवंरसिंह कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा बतलाया गया कि इस न्यायालय में मूल निगरानी प्रकरण कमांक 2527–दो/2013, तहसीलदार, राजनगर, जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 10–06–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–3–2015 को पारित आदेश के अंतिम पैराग्राफ में टंकण त्रुटिवश तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–4–2013 अंकित हो गया है अतः उसे संशोधित किया जाये । इस न्यायालय के आदेश दिनां 11–3–2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश के अंतिम पैराग्राफ में तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–4–2013 त्रुटिवश अंकित हो गया है, अतः तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–4–13 के स्थान पर आदेश दिनांक 10–6–2013 पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी, अतः मूल आदेश के साथ संलग्न की जाये। अध्यक्ष	

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 2527–दो/13 विरू; आदेश दिनांक 10.6.13 पारित द्वारा तहसीलदार, राजनगर प्रकरण कमांक 06/अ–6/11–12.

———

श्रीमती कुसुम राजे वेवा बहादुर सिंह
निवासी लखरावन तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

सरदार सिंह तनय भुजबल सिंह
निवासी लखरावन तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री एस. के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/2/14 को पारित)

.....

यह निगरानी तहसीलदार, राजनगर के प्रकरण कमांक 06/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिकनांक 10.6.13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 14 का आवेदन मय दस्तावेजों के पेश किया । तहसीलदार ने उक्त आवेदन आलोच्य आदेश द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया है तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर त्रुटि की है कि आवेदन अवधि बाह्य है जबकि उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उक्त दस्तावेज आवेदक को कब प्राप्त हुए थे । मिशन अस्पताल का प्रमाणपत्र उन्हें 6–4–13 को प्राप्त हुआ इसी प्रकार बैनामा दिनांक 13–1–77 उन्हें 6.9.12 को प्राप्त हुआ है । आवेदिका पढ़ी लिखी नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को समयसीमा में मान्य करना चाहिए था जिसे न मानकर तहसीलदार ने कानूनी भूल की है ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 26–3–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उस दिनांक को प्रकरण शेष साक्ष्य एवं तर्क हेतु नियत किया गया था । इसके बाद दिनांक 29.4.13 तक जब आवेदिका ने अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए प्रकरण में और कार्यवाही नहीं हुई अर्थात आवेदिका का साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त नहीं हुआ था अतः उन्हें विलम्बित नहीं माना जा सकता । वैसे भी जो साक्ष्य प्रयकरण में विवाद के उचित न्यायनिर्णयन के लिए आवश्ययक हो उन्हें तो अपीलीय स्तर पर भी स्वीकार किया जा सकता है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार ने आवेदिका का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–4–13 निरस्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वह अभिलेख पर लेवें तथा अनावेदक पक्ष को भी इन दस्तावेजों का खंडन (Rebuttal) करने का अवसर देते हुए प्रकरण में यथोचित कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर